आज़ादी का अमृत महोत्सव
हर घर तिरंगा
13-15 अगस्त 2022

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

NHB (ND)/HO/DOS/DAK/2023/00422/2023
January 13, 2023

To
Managing Director,
Supreme Housing Finance Limited,
2nd Floor, Harsha Bhawan, 13/29, E- Block,
Middle Circle, Connaught Place, New Delhi -110001

Sir,

Levy of Penalty - Delayed submission of Schedule V return for the position as on 30-11-2022

Please refer to the Show-cause Notice issued to the company vide our letter No. NHB(ND)/HO/DOS/DAK/2022/00194/2022 (Copy Attached) dated December 13, 2022 and subsequent reply of the company vide email dated 14-12-2022.

2. The various returns required to be submitted by the HFCs are governed by the Master Circular on Returns for HFCs issued by the Bank on December 31, 2021. As per the master Directions issued by RBI, HFCs should comply with any reporting requirements prescribed by the NHB from time to time . HFC should submit the return on or before the due date as mentioned in the Supervisory Circular No. 7.

3. In this regard, your attention is invited to Chapter III Para C of NHB(ND)/DOS/Sup. Circular No.7/2021-22 dated December 31, 2021 wherein inter-alia, it is mentioned that the Schedule V Monthly Return with reference date of end of every month should be submitted by 10th of the next month. However, it has been observed that the company has submitted the schedule V return for the position as on 30-11-2022 with a delay.

4. The company has already been cautioned thrice on the following occasions vide letter No dated NHB(ND)/DOS/DMC/OUT07659/2022 dated November 09, 2022 for delayed submission of ALM -I, Schedule IV, ALM – II return for the position as on 30-09-2022, Letter No. NHB(ND)/HO/DOS/DAK/2022/00076/2022 dated November 28, 2022 for delayed submission of schedule V return for the position as on 31-10-2022, NHB(ND)/HO/DOS/DAK/2022/00079/2022 for delayed submission of schedule II for the position as on 30-09-2022. The company has not provided specific response in the above mentioned cases , however has submitted the returns in certain cases on issuance of caution.

5. In view of the above it is observed that company had violated the direction issued by NHB.

रा.आ.बैंक (नदि)/एचओ/डीओएस/डाक/2023/00422/2023
13 जनवरी, 2023

प्रबंध निदेशक,
सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड,
दूसरी मंजिल, हर्ष भवन, 13/29, ई-ब्लॉक,
मिडिल सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली -110001

महोदय,

अर्थदंड लगाना – यथा 30-11-2022 की स्थिति के लिए अनुसूची V विवरणी प्रस्तुत करने में विलंब

कृपया 13 दिसंबर, 2022 के हमारे पत्र संख्या रा.आ.बैंक(नदि)/एचओ/डीओएस/डाक/2022/00194/2022 द्वारा कंपनी को जारी कारण बताओ नोटिस (प्रति संलग्न) और दिनांक 14-12-2022 के ईमेल के माध्यम से कंपनी के अनुवर्ती उत्तर का संदर्भ लें।

2. आ.वि.कं. द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाली आवश्यक विभिन्न विवरणी 31 दिसंबर, 2021 को बैंक द्वारा जारी आ.वि.कं. के लिए विवरणी पर जारी मास्टर परिपत्र द्वारा अभिशासित होती हैं। भा.रि.बैंक द्वारा जारी किए गए मास्टर निर्देशों के अनुसार, आ.वि.कं. को समय-समय पर रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। आवास वित्त कंपनी को पर्यवेक्षी परिपत्र सं. 7 में उल्लिखित नियत तारीख को या उससे पहले विवरणी प्रस्तुत करनी चाहिए।

3. इस संबंध में, आपका ध्यान रा.आ.बैंक (नदि)/डीओएस/पर्य. परिपत्र सं.7/2021-22 दिनांकित 31 दिसंबर, 2021 के अध्याय III अनुच्छेद सी की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि अनुसूची V मासिक विवरणी प्रत्येक माह के अंत की संदर्भ तिथि के साथ अगले माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। हालाँकि, ऐसा पाया गया है कि कंपनी ने यथा 30-11-2022 की स्थिति के लिए विलंब से अनुसूची V विवरणी प्रस्तुत की है।

4. कंपनी ने निम्नलिखित अर्थात् यथा 30-09-2022 की स्थिति के लिए एएलएम-I, अनुसूची IV, एएलएम-II विवरणी विलंब से प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 09 नवंबर, 2022 के पत्र संख्या रा.आ.बैंक(नदि)/डीओएस/डीएमसी/आउट07659/2022, यथा 31-10-2022 को स्थिति के लिए अनुसूची V विवरणी प्रस्तुत करने में विलंब के लिए पत्र संख्या रा.आ.बैंक(नदि)/एचओ/डीओएस/डाक/2022/00076/2022 दिनांकित 28 नवंबर, 2022, यथा 30-09-2022 तक की स्थिति के लिए अनुसूची II को विलंब से प्रस्तुत करने के लिए रा.आ.बैंक(नदि)/एचओ/डीओएस/डाक/2022/00079/2022 के माध्यम से पहले ही तीन बार सतर्क किया गया है। कंपनी ने उपर्युक्त उल्लिखित मामलों में विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है, हालांकि सतर्कता जारी करने पर कुछ मामलों में विवरणी प्रस्तुत की है।

5. उपरोक्त के मद्देनजर यह पाया गया है कि कंपनी ने रा.आ.बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया था।

6. इसलिए, कंपनी को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के 52क (1)(क) के प्रावधानों के तहत प्रयोग की गई शक्ति के संदर्भ में इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों के भीतर, अनुबंध-I में संलग्न बैंक विवरण के अनुसार, ₹ 3,540/- (तीन हजार पांच सौ चालीस रुपए मात्र) अर्थात ₹ 3,000 + जीएसटी @ 18% ₹ 540/- की कुल राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

7. कंपनी को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में तुलन पत्र में 'नोट्स टू एकाउंट्स' में अर्थदंड का अलग से प्रकटीकरण करना चाहिए। कंपनी को यह भी सूचित किया जाता है कि वह इस मामले को अपने निदेशक मंडल को रिपोर्ट करे एवं उक्त की कार्यवृत्त की एक प्रति बैंक को सूचना हेतु भेजें।

8. कंपनी को रा.आ.बैंक द्वारा कंपनी पर लगाए गए अर्थदंड को अपनी वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना आवश्यक है।

भवदीया,

(रीजा के)
उप महाप्रबंधक
पर्यवेक्षण विभाग
संलग्न.: यथोपरि

अनुबंध I हेतु कृपया अंग्रेजी विषय-वस्तु का संदर्भ लें।

6. The company, is therefore, directed to pay an aggregate amount of ₹ 3,540/- (Rupees Three Thousand Five hundred and Forty only), i.e. ₹3,000 + GST@18% ₹540/- as per the Bank details enclosed as Annexure-I, within 14 days of the date of receipt of this letter in terms of power exercised under provisions of 52A (1)(a) of The National Housing Bank Act, 1987.

7. The Company should separately disclose the penalty in 'Notes to Accounts' to the Balance Sheet in the Annual Report of the company. The company is also advised to report the matter to its Board of Director and Send a copy of Minutes of the same to the Bank for Information.

8. The Company is required to prominently display on its website penalty levied on the company by NHB.

Yours faithfully,

(Reeja K)
Deputy General Manager
Department of Supervision

Encl.: as above

Annexure-I

S.N.	Type	Particulars
1.	Beneficiary Name	National Housing Bank
2.	Beneficiary GSTN	07AABCN2600H1ZY
3.	Beneficiary Address	Core 5A, 4th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi 110 003
4.	Beneficiary Bank Name	State Bank of India
5.	Beneficiary Bank Branch Address	Pragati Vihar Delhi Branch, Ground Floor, Core-6, Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003
6.	Type of Bank Account	Current Account
7.	Beneficiary Bank A/C No.	52142903844
8.	IFCS code of Bank branch	SBIN0020511
9.	MICR No.	110002658